



Neutral Citation No - 2026:AHC:30125

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 2026 की 4167

शिव प्रसाद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : वरिष्ठ अधिवक्ता, योगेन्द्र यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. नीलाम सूचना दिनांकित 15.01.2025 के अनुसरण में दिनांक 22.01.2026 को नीलामी सम्पन्न हुई।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जिस भूमि की नीलामी की गई है वह याचिकाकर्ता की है। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.01.2026 को जिलाधिकारी/प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे उनके द्वारा विधिवत् ग्रहण किया गया और प्राधिकारियों को प्रकरण की जाँच करने के निर्देश दिए गए। उक्त के विरुद्ध व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 2 याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर शीघ्रातिशीघ्र उचित आदेश पारित करेंगे।

4. उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

5. तथ्यों एवं परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाती है कि वह आज से तीन दिन की अवधि के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति तथा अभ्यावेदन दिनांकित 19.01.2026 की छायाप्रति एवं उस पर अंकित टिप्पणियों सहित अपनी समस्त शिकायतों को अभिव्यक्त करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक नवीन अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। यदि ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे अगले सात दिनों के भीतर विधि अनुसार उचित आदेश पारित करें।

6. उपर्युक्त प्रेक्षणों के साथ, वर्तमान रिट याचिका अंतिमता से निस्तारित की जाती है।

11 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"